

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन हि

दिनांक

फर्द अहकाम

26<sup>9</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पैस हुंशी वाश वाश आवाज दिलाने पर भी वादीगण एवम् उनके अधिवक्ता हव. नही हुए। अतः मु० नं० 162/2014 उत्तवान मंगलवदि वनाम लेठ बेल्लर तहसीलराड राम बाबत घोषणा यात्रेदारी, इन्हाज हुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अदम पैसी अदम ठाजिरी में बांझि किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमाद लेकड वाड तहसील नं० से कम की जाफड दाखिल करत हौ।

आदेशा युते न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

*[Faint handwritten notes and signatures in the bottom half of the page, including dates like 20/1/14 and 15/1/14.]*